

पूर्वोत्तर रेलवे

प्री-2016 सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का संशोधन

पूर्वोत्तर रेलवे के सभी प्री-2016 सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन सातवें वेतन आयोग के अनुसार नोशनल वेतन निर्धारण कर संशोधित किया जाना है ।

अतः सभी प्री-2006 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रोफार्मा पर अपना सम्पूर्ण विवरण भरकर संलग्नकों सहित अपनी सेवानिवृत्त इकाई (मुख्यालय, मण्डल, कारखाना) को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें, जिससे पेंशन संशोधन की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। प्रोफार्मा पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर कार्मिक विभाग के पेज " Retired Employees Zone" के लिंक पर उपलब्ध है ।

संशोधित पीपीओ के लिए आवेदन फार्म

- 1- आवेदक का नाम -----
- 2- पत्र व्यवहार का पता- -----
- 3- रेलवे पेंशनर का नाम -----
- 4- सेवानिवृत्त के समय पद एवं विभाग -----
- 5- सेवानिवृत्त तिथि- -----
- 6- रेलवे कर्मचारी की मृत्यु तिथि -----
- 7- पति/पत्नी ----- जन्मतिथि (प्रमाण पत्र के साथ)
- 8- (क) अविवाहित पुत्री का नाम -----
(ख) विधवा/तलाकशुदा पुत्री का नाम -----
- 9- (क) पेंशनर्स का आधार नम्बर -----
(ख) पारिवारिक पेंशनर्स का आधार नम्बर -----
- 10- पेंशनर्स का पैन नम्बर -----
- 11- पेंशनर्स का ईमेल आईडी -----
- 12- सेवानिवृत्त के समय वेतन एवं वेतनमान-----
- 13- पीपीओ नम्बर - -----
- 14- पीपीओ जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम (संलग्नक करें)-----
- 15- बैंक का नाम एवं पता - -----
- 16- खाता संख्या- -----

17- आवश्यक प्रपत्र -

- (क) सेवानिवृत्त के समय जारी पीपीओ की प्रति
- (ख) दिनांक 01.01.1996 ,01.01.2006 जारी संशोधित पीपीओ की प्रति
- (ग) आश्रित एवं पति/पत्नी का जन्म तिथि प्रमाण- पत्र
- (घ) पेंशनर्स एवं पति/पत्नी के आधार कार्ड की प्रति -
- (ङ) पैन कार्ड की प्रति -

हस्ताक्षर

(पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स/आश्रित)

मोबाइल नम्बर-

स्थान

दिनांक -